

।कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ), राजस्थान, जयपुर।

F 14 (Baran roads) 2014/FCA/PCCF/CCF EDS – VI Jaipur Dated 16-8-2019

अधिशाली अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग शाहबाद खण्ड के द्वारा बिछी रामपुर से उप्रेती सडक मार्ग के निर्माण हेतु 2.68 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Road/6958/2014 से ऑनलाइन किये गये है। मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा प्रस्ताव (बिछी रामपुर से उप्रेती सडक मार्ग) में संशोधन कर प्रस्ताव ऑनलाईन पुनः प्रस्तुत किया गया है प्रस्ताव में एम0ओ0ई0एफ0 लखनउ भारत सरकार के पत्रांक 8 B /Raj/06/25/2015/FC/03 dated 1.4.2015 से पांच बिन्दुओं की सूचना चाही गई है। जिसके कम में प्रस्ताव का परीक्षण किये जाने निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है।

A- Compliance of EDS Dated 23.7.2018 is awaited :

1. बिन्दु संख्या 1 की पालना के कम में उप वन संरक्षक बांरा द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र हार्ड प्रति में संलग्न किया गया है किन्तु पार्ट II में अभी भी ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में आबटित गैर वन भूमि के दस्तावेज हार्ड प्रति के साथ संलग्न किये गये है किन्तु ऑनलाइन अपलोड नहीं किये गये है।
2. बिन्दु संख्या 2 की पालना के कम में उप वन संरक्षक बांरा द्वारा संशोधित क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना हार्ड प्रति के साथ संलग्न कर दी गई है किन्तु अभी भी पार्ट II में ऑनलाईन अपलोड नहीं की गई है। जो प्रस्तावित है।
3. बिन्दु संख्या 3 की पालना नहीं। पार्ट I के बिन्दु संख्या ए-3 में अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाकर संशोधित दस्तावेज संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
4. बिन्दु संख्या बी-2 की पालना के कम में प्रस्तावित वन भूमि एवं गैर वन भूमि की ऑरिजनल जी0टी0शीट संलग्न नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त सूचना भिजवाने हेतु मुख्य वन संरक्षक कोटा को निर्देशित किया जाता है।

19/8/19
(D.K. GUPTA)
ACF.(FCA)
JAIPUR